



2026:AHC:17139

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45495 सन् 2025

कृष्णावती देवी

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचीगण द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 / उप-खण्ड अधिकारी, भदोही को उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के अन्तर्गत दायर वाद संख्या 7188 / 2025 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202516670507188) (कृष्णावती देवी बनाम गीता देवी) को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाए।
3. अभिलेख के परिशीलन से प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है, और न ही याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को समयबद्ध रीति से निर्णीत करने का निर्देश देने के सम्बन्ध में इस आशय का कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है, सिवाय इसके कि वाद वर्ष 2025 में दायर किया गया है।
4. उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, याचीगण को कोई राहत नहीं दी जा सकती। तथापि, अधीनस्थ न्यायालय से अपेक्षित है कि वह उक्त वाद को विधि के अनुसार किसी भी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, निर्णीत करे।
5. उक्त प्रेक्षणों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

22 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।